

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्वयोदय संबल पखवाड़ा-2025 मूफशिविर- टापुर

प्रकरण संख्या:- 75/2025

दिनांक:- 21/6/2025

उनवान

श्री. पूरणचन्द पुत्र
रामदेव बैरवा

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रेघेर भू. अ. नि. स्वामिसोप एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम रेघेर प0 ह0 रेघेर की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 176, 358, 501 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र. सं. | अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि) | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है। |
|----------|--|--|---|
| | नाम/पिता नाम में अशुद्धि | पूरणमल पुत्र रामदेव पूरनचन्द पुत्र रामदेव | पूरणचन्द पुत्र रामदेव बैरवा |

ह
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री पूरणचन्द पुत्र रामदेव बैरवा निदिता
3. रक्षित पत्रावली।



ह
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)